सप्तदश बिहार विधान सभा

चतुर्दश सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-07.03.2025 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री सुधांशु शेखर, स०वि०स० श्री अशोक कुमार चौधरी, स०वि०स० श्री ललित नारायण मंडल, स०वि०स	''राज्य में जनवितरण प्रणाली की दुकानों को संचालित करने वाले डीलरों को अनाज वितरण करने पर जो कमीशन दिया जाता है, वह काफी कम दिया जाता है। इस कारण डीलरों को जीवन-यापन में काफी कठिनाई होती है । उन्हें हमेशा आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। जन वितरण प्रणाली के डीलर हमेशा जनता की सेवा में लगे रहते हैं, जिस कारण ही लोगों को अनाज की उपलब्धता हो पाती है । अतः हम जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों का कमीशन कम से कम दोगुना देने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हैं।''	खाद्य एवं उपभोक्ता सरंक्षण विभाग

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
2.	श्री सत्यदेव राम, स०वि०स० श्री अजय कुमार, स०वि०स० श्री सूर्यकान्त पासवान, स०वि०स० श्री महबूब आलम, स०वि०स० श्री फते बहादुर सिंह, स०वि०स० श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता, स०वि०स० श्री ललन कुमार, स०वि०स० श्रीमती प्रतिमा कुमारी, स०वि०स० श्री सतीश कुमार, स०वि०स० श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी, स०वि०स० श्री शिव प्रकाश रंजन, स०वि०स०	"सुप्रीम कोर्ट द्वारा सभी वर्गों के प्रोन्नति पर Status Quo है। सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या-19300, दिनांक-13.10.2023 द्वारा SC/ST के 17% प्रतिशत पदों को FREEZE कर अन्य वर्ग को उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित अंतिम आदेश के फलाफल से प्रभावित होने की शर्त पर उच्चतर पद का कार्यकारी प्रभार दिया जा रहा है। उच्चतर प्रभार में प्रोन्नति की सारी सुविधाएं दी जा रही है यथा-वेतनमान, वरीयता, कालावधि की परिगणना, सेवांत लाभ सहित रिक्त पदों के विरूद्ध नियुक्ति की जा रही है। इस व्यवस्था से हजारों SC/ST कर्मी उच्चतर पदों के प्रभार से वंचित हो गए है, जिससे संवैधानिक समानता के अधिकार का हनन हुआ है और दूसरी ओर SC/ST के लिए नई नियुक्तियों में रिक्तियां भी प्रभावित हो रही है। इससे SC/ST को दोहरा मार पड़ रहा है। अतः उत्पन्न बेरोजगारी की समस्या के मद्देनजर SC/ST को भी अन्य वर्गों के तरह FREEZE पदों पर उच्चतर पद का कार्यकारी प्रभार देने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हैं।"	सामान्य प्रशासन विभाग

ख्याति सिंह
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-ध्या०प्र०-05/25- 156 /वि०स०, पटना, दिनांक- 6 मार्च, 2025 ई०।

प्रति:- माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(रविन्द्र पंडित) 06.3.25
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-ध्या०प्र०-05/25- 156 /वि०स०, पटना, दिनांक- 6 मार्च, 2025 ई०।

प्रति:- माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव / माननीय उप मुख्यमंत्रीगण के आप्त सचिव एवं माननीय मंत्रीगण के आप्त सचिव को क्रमशः माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्रीगण एवं मंत्रीगण के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(रविन्द्र पंडित) 06.3.25
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-ध्या०प्र०-05/25- 156 /वि०स०, पटना, दिनांक- 6 मार्च, 2025 ई०।

प्रति:- मुख्य सचिव, बिहार / महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय / संसदीय कार्य विभाग / खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(रविन्द्र पंडित) 06.3.25
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-ध्या०प्र०-05/5- 156 /वि०स०, पटना, दिनांक- 6 मार्च, 2025 ई०।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / प्रभारी सचिव के प्रधान आप्त सचिव को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

(रविन्द्र पंडित) 06.3.25
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।